

खास खबरें

साकेत नगर से हीरो बाइक चोरी

नप्र, भोपाल: गोविंदपुरा थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 303(2) के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरियादी संजय अमोदकर ने बताया कि 24 जुलाई की सुबह उन्होंने साकेत नगर में अपनी हीरो मोटरसाईकिल (एमपी-04 डब्ल्यूएम-4277) खड़ी की थी। कुछ देर बाद लौटने पर बाइक गायब मिली। आसपास तलाश के बाद भी वाहन नहीं मिला, जिस पर पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

रेस्टोरेंट के सामने से बाइक चोरी

कोतवाली थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 303(2) के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी सोयब खान ने बताया कि उन्होंने मामाजी रेस्टोरेंट के सामने अपनी हीरो मोटरसाइकिल (एमपी-04 एमपी-4024) खड़ी की थी। लौटने पर वाहन गायब मिला। काफी तलाश के बाद भी सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर

गोविंदपुरा थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 281 एवं 125ए के तहत अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरियादी फरहान खान ने बताया कि चेतक ब्रिज चौराहे पर तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए चालक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उन्हें चोटें आईं।

जुआ खेलते छह आरोपी गिरफ्तार

एमपी नगर थाना पुलिस ने जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत आकाश सेन, बिबू तिवारी, सोनू सिंह, नीलेश कहरा, जीतू सरोले और राजेश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। बोर्ड ऑफिस के पास ताश के पत्तों पर हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए पुलिस ने दबिश दी। मौके से 2,040 रुपये नकद और ताश के पत्ते जब्त किए गए।

आठ बोटल अंग्रेजी शराब जब्त

गोविंदपुरा थाना पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत रत्नेश मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चारबत्ती तिराहा क्षेत्र में आरोपी के कब्जे से आठ बोटल अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब छह हजार रुपये है। आरोपी शराब रखने का रूढ़ दस्तावेज नहीं दिखा सका। फरियादी शासन है।

देशी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

मिसरोद थाना पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत दीपक कुमार मालवीय को गिरफ्तार किया है। बालाजी ढाबा के सामने आरोपी के पास से 19 क्वार्टर देशी शराब बरामद हुई। जब्त शराब की कीमत 1,620 रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

बीमारी से मौत, मर्ग कायम

कमला नगर थाना पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 194 के तहत मर्ग कायम किया है। डॉ. वीरेंद्र सिंह की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। मृतक राजी शर्मा (45) निवासी नेहरू नगर की बीमारी के चलते हमीदिया अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

सोना लेकर 16 लाख की धोखाधड़ी

अवधपुरी थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) एवं 3(5) के तहत नवीन श्रीवास्तव और अनिल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरियादी नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने सोना लेकर 16 लाख रुपये की धोखाधड़ी की और रकम वापस नहीं की। पुलिस मामले को जांच कर रही है।

जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया।

समारोह में मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में नवनिर्वाचित अध्यक्ष

देवेंद्र रावत , सचिव मुकेश नागपुरे सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।

इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने नवगठित कार्यकारिणी का

स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने

अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा, बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।

रोटरी क्लब भोपाल ईस्ट की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: रोटरी क्लब भोपाल ईस्ट की वर्ष 2026-27 की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह होटल रेसिडेंसी में आयोजित किया गया।

मुख्य अतिथि एआईएस अधिकारी आदित्य सिंह की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंडलाध्यक्ष (पीडीजी) जैनेंद्र जैन ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

विशिष्ट अतिथि मंडलाध्यक्ष संस्कार कोठारी ने कहा कि रोटरी क्लब भोपाल ईस्ट पिछले 51 वर्षों से समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने

कहा कि रोटरी विश्व का सबसे बड़ा सेवाभावी संगठन है और इसका सदस्य होना गर्व की बात है।

निवर्तमान अध्यक्ष विश्वास ने अपने कार्यकाल में किए गए सेवा प्रकल्पों की जानकारी दी, जबकि नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रखर तिवारी ने आगामी वर्ष की सेवा योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। समारोह में पूर्व मंडलाध्यक्ष कर्नल महेंद्र मिश्रा, आलोक बिल्लौरी, धीरन दत्ता, सहायक मंडलाध्यक्ष रश्मि टोंग्या सहित भोपाल के विभिन्न रोटरी क्लबों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

महापौर ने इब्राहिमगंज में सड़क और नाली निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

नप्र, भोपाल: महापौर मालती राय ने शुक्रवार को जेन-4 के वार्ड-17 स्थित इब्राहिमगंज क्षेत्र में निर्माणाधीन सीमेंट कंक्रीटीकरण सड़क एवं नाली निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने हमीदिया रोड से संत कबीर स्कूल तक चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि

नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने और नियमित निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान महापौर परिषद सदस्य मनोज राठौर, प्रभारी अधीक्षण यंत्री आर.आर. जरोरिया, कार्यपालन यंत्री अनिल टटवाड़े, पूर्व पार्षद विष्णु राठौर, पंकज चौक्से सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

न्यायालय तहसीलदार तहसील मल्हारगंज इन्दौर
क्रमांक/772/रीडर/2026
इन्दौर, दिनांक 17/07/2026
प्रकरण क्रमांक 0021/अ-70/2025-26
उद्घोषणा
एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि आदिक शंशाक पिता रमेशचंद्र भण्डारी निवासी 32-बी. सार्दनीथ कोलौनी सेक्टर-ए, इन्दौर द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मैं गाम पालाखेडी स्थित भूमि सर्वे नंबर 219/4/1 रकबा 0.1850 हेक्टरपर में से पैक्री रकबा 0.0929 हेक्टरपर में से पैक्री रकबा 0.0929 हेक्टरपर भूमि शांशाक पिता रमेशचंद्र के स्वामित्व एवं आधिपत्य होकर बतौर भूमिस्वामी राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उपरोक्त भूमि पर सीमा भूमि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य दर्ज भूमि है। उक्त भूमि पर सीमांकन प्रकरण क्र. 0083/12/2025-26 सीमांकन दिनांक 07/07/2025 को राज्यस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर स्वाई चिन्हां से डी.जी.पी. एस्. मशीन से सीमांकन कार्य कर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत फिन्ड्रूक स्वीकृत की गई थी। उक्त सर्वे नं. 219/4/1 रकबा 0.1850 हेक्टरपर में से पैक्री रकबा 0.063 हेक्टरपर भूमि पर मेसर्स सीनिया ब्रिंजिनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड मुकेश पिता ए.एल. सक्सेना का कब्जा पाया गया। आदिक द्वारा अवैध कब्जाधारी से भूमि पर म.प्र., भू-राजस्व सहिता की धारा 250 के तहत कब्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त भूमि के नामांतरण के संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपति हो तो वह दिनांक... 29/07/2026 के अन्दर अपनी आपति स्वयं या आने अधिकारिक के माध्यम से तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के उपरांत प्राप्त आपति पर विचार नहीं किया जाएगा।
तहसीलदार तहसील मल्हारगंज इंदौर

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण,भोपाल
प्रगति भवन प्रेस कॉम्प्लेक्स जेन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रॉपर्टी आई. डी. नं. 0900A70026,आवेदन क्रमांक-12112, आवेदन दिनांक-14/05/2026
क्रमांक 2313/राजस्व/सीमापत्र/26 भोपाल
दिनांक: 24/07/2026
आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की कवचत गृह निवास साकेत नगर योजना में स्थित भूखंड क्रमांक-26 सेक्टर3/डी, श्री नन्द राम शांशय आ राज्य लाख शांशय एवं श्रीमती श्रीमती फूल बाई शांशय पत्नी स्व श्री नन्द राम शांशय के संयुक्त नाम पर आवंटित है। संयुक्त आवंटि में से श्री नन्द राम शांशय का स्वमितास दिनांक-27/01/2026 को हो जाने के कारण आवंटि के वारिस 1, श्रीमती फूल बाई शांशय पत्नी स्व श्री नन्द राम शांशय 2, श्री प्रवीण कुमार शांशय 30 स्व श्री नन्द राम शांशव द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवंटि का मूल्य प्रमाण पत्र, शांशय पत्र, आधार कार्ड तथा वारिंशत प्रपत्रों को प्रस्तुत कर उक्त भूखंड संयुक्त नाम पर नामांतरण चाहें गये है। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजों के साथ अधोहताक्षरकाल के समक्ष उपस्थित होकर आपति / दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयवाधि के पश्चात कोई भी दावा/आपति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कारवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजों के साथ अधोहताक्षरकाल के समक्ष उपस्थित होकर आपति / दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयवाधि के पश्चात कोई भी दावा/आपति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यावाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
राजस्व अधिकारी भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं. 04 बावड़ियाकाल तहसील-कोतार जिला भोपाल म.प्र.
रा.प्र.क्र. 0.156/अ-12/2026-27
ग्राम नाम-बावड़िया कलां
सूचना पत्र
प्रति. 1. मनोज श्रीवास्तव आ. जी.पी. श्रीवास्तव नि. ई. अरेंरा कोलौनी भोपाल, 2. श्री सुखबीर सिंह कुकरेजा आ. राजेंद्र सिंह कुकरेजा एवं जीमेन्द्रपाल सिंह अल्य आ. प्रेम सिंह अल्य निवासी भोपाल।3. श्री शरद आचार्य आ. स्व श्री आिकार प्रसाद आचार्य शान्ति कालोनिईअंतर् अर्पित जेन आ. अल्य जेन नि. भोपाल 5. पलास गृह निर्माण सहकारी समितिया भोपाल राजेश आ. भुम्पुल्यक नि. भोपाल 6. आकृति रंदिरेद्र द्वारा रहवासीगण (तमीनम कोलौनी) अल्यका को सूचनाई एवं अन्य पडोसीगण। विषय- सीमांकन रिजट जेन हेतु बावड सूचना-पत्र एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आदिक श्री सुखबीर सिंह कुकरेजा पिता राजेंद्र सिंह कुकरेजा एवं जीमेन्द्रपाल सिंह अल्य आ. प्रेम सिंह अल्य निवासी भोपाल द्वारा ग्राम-बावड़िया कलां, प.इ.नं.18 में स्थित खसरा नंबर 150/2/13 द्वारा ग्राम बावड़िया कलां रकबा क्रमांक 0.2064 है. भूमि कुल रकबा 0.2064 है. भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदको द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन मेरे द्वारा दिनांक 25/07/2026 को समय प्रातः 12-00 बजे स्वतः पर किया जाएगा।। पडोसी खातिरदर हाने के कारण एवं उक्त सीमांकन से कोई आपति हो तो निवेदित दिनांक एवं समय पर स्वतः पर भूमि के स्वतः संबंधी एवं अनुप्राणिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुपस्थिति की रशा में सीमांकन कार्य रोजा नहीं जाएगा बाद प्रस्तुत आपति विचार योग्य नहीं होगी। अलावरक शराकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमि स्वामी को पता सफ्ट न होने से आवेदक स्वयं से ध्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में करवया जा सकता है। आज दिनांक 20/7/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
राजस्व निरीक्षक तहसीली कोतार जिला भोपाल



कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी उपवनमंडल (सामान्य) सीहोर

E-Mail:- softshore@mp.gov.in, Mob. No. 9424790851

क्रमांक/1754

विज्ञप्ति

सीहोर/दिनांक/ 21/07/2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन अपराध प्रकरण में निम्नानुसार वाहन अवैध सागीन इमारती वनीपज परिवहन एवं अतिक्रमण करते हुए मध्य प्रदेश वनीपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5 (1) 15, 16 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52, 41 एवं 26 (1) क के अन्तर्गत जप्त किये गये हैं। कुछ प्रकरणों में वाहन मालिकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के उपरान्त भी वे उपस्थित नहीं हो रहे हैं। प्रकरण ज्ञात अज्ञात में पंजीबद्ध हुये हैं। अतः विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर प्राधिकृत अधिकारी एवं उपवनमंडलाधिकारी उपवनमंडल (सामान्य) सीहोर के कार्यालय में उपस्थित होकर जप्त वाहन में हित/हक रखने वाले अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में जप्त वाहन को राजस्वात करने की एक पक्षीय कार्यावाही की जावेगी, प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वन अपराध प्रकरण क्रमांक/दिनांक	वाहन का विवरण	वाहन का पंजीयन क्रमांक	वाहन मालिक/ आरोपी का नाम/पता	अपराध का प्रकार	जमी स्थल
1	2	3	4	5	6	7	
1	इश्वर	42754/06, 12.07.2026	मोटर साइकिल हीरो डिलवर्।	बिना नम्बर,वैचिस नम्बर, इंजन नम्बर अस्पष्ट	अज्ञात	सागीन इमारती चरपट का अवैध परिवहन।	हुड्डालाबा के पास जंगल में मोटर साइकिल द्वारा सागीर इमारती चरपट का अवैध रूप से परिवहन करते हुए जप्त।

(कृतिका जायसवाल), प्राधिकृत अधिकारी उपवनमंडलाधिकारी (सामान्य) सीहोर

जी-16134/26

जी-161134/26

बसपा व कांग्रेस के कई नेता भाजपा में शामिल, प्रदेश अध्यक्ष ने किया स्वागत

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपाल: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में शुक्रवार को दतिया चुनाव कार्यालय में बसपा और कांग्रेस के कई नेताओं तथा सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

बसपा के सेवदा से पूर्व प्रत्याशी लाखन सिंह यादव सहित विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों ने भाजपा का दामन थामा। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया।

इस अवसर पर हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि प्रदेश और देश में भाजपा की विकासवादी नीतियों से प्रभावित होकर विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास, समाज का सम्मान और नागरिकों की सुक्षा



सुनिश्चित करने की क्षमता केवल भाजपा के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, जिससे जनता का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए

167 वॉ आयकर दिवस गरिमापूर्ण ढंग से मनाया



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: आयकर विभाग ने शुक्रवार को नवीन आयकर भवन, अरेंरा हिल्स स्थित कार्यालय में 167वें आयकर दिवस का गरिमापूर्ण आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) सुश्री मोना मोहंती, आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) विजय कुमार पंडा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन तथा सीबीडीटी अध्यक्ष रवि अग्रवाल के वीडियो संदेश के

वाचन से हुआ। सुश्री मोहंती ने कहा कि कर भुगतान केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस अवसर पर विभाग के उत्कृष्ट खिलाड़ियों सुश्री शिखा चौहान और शिवराज शांडिल्य (शूटिंग) को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया। आयकर दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पोस्टर निर्माण और भाषण प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, श्रीमती सुशीला देवी पति श्री जोगिन्दर सिंह, निवासी- 1995, राजेंद्र नगर, बैरागढ़, भोपाल, म.प्र. कि मेरे पति सेना से पूर्व में सेवानिवृत्त हैं, जिनके सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम सुशीला Sushila अंकित है जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सुशीला देवी Sushila Devi दर्ज हैं मेरा नाम सुशीला Sushila के स्थान पर सुशीला देवी Sushila Devi दर्ज किया जावे।

कार्यालय नगर पालिक निगम,भोपाल जोन क्र.-01 वाई क्रमांक 05

विज्ञप्ति

लीज रेंट दुकान/नामांतरण सूचना

लीज रेंट दुकान खाते में निम्नानुसार नामांतरण प्रस्तावित है:-

क्रं.	वर्तमान खातेदार का नाम	संपत्ति भवन भूमि का पता	दुकान की आई.डी. नं.	प्रस्तावित नामांतरण हेतु खातेदार का नाम	दुकान की साईज	नामांतरण का आधार
1.	नरेश कुमार मूलानी पिता स्व. श्री ए.के. मूलानी	शॉप नं. 24 मल्टी लेवल पार्किंग बैरागढ़	30000000645	पिंकी नामदेव पति श्री दीपक नामदेव	143.17 स. फीट	रजिस्ट्रड दस्तावेज के आधार पर

उक्त नामांतरण पर यदि किसी भी संस्था व्यक्ति को कोई आपति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर आपति लिखित में साक्ष्य एवं दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। यदि नियत समय आयुक्त को कोई आपति प्राप्त नहीं होती है। तो नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 167 के अंतर्गत अभिलेखों में नामांतरण कर दिया जावेगा।

सू. क्र. 502/026/027

जोन अधिकारी जोन क्रमांक 01,नगर निगम भोपाल

1067

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संधारण संभाग क्रमांक-1 शेड क-7 जवाहर चौक, भोपाल

निविदा सूचना क्र-50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/वलेलि/2026-27

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्यों का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

स.क्र.	निविदा सूचना क्र.	टेण्डर नं.	कार्य का नाम	टेंके की अनुमानित राशि रु. लाखों में	अमानत राशि
1.	50	2026_PWDRB_522665	तोलनिव, नगर उपसंभाग क्र-3 भोपाल के अन्तर्गत जी.आर.पी.सेवशन पुरानी केन्द्रीय जेल सेवशन के आवासीय भवनों में एवं विन्ध्य कोटी में वार्षिक मरम्मत, विशेष मरम्मत, अनुरक्षण, डिपॉजिट एवं अन्य कार्य (द्वितीय आमंत्रण)	रु. 50,00,000.00 (रु. पचास लाख मात्र)	रु. 500000.00
2.	51	2026_PWDRB_522666	तोलनिव नगर उपसंभाग क्र-3 भोपाल के अन्तर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में विशेष मरम्मत, अनुरक्षण, डिपॉजिट एवं अन्य कार्य (द्वितीय आमंत्रण)	रु. 90,00,000.00 (रु. नब्बे लाख मात्र)	रु. 900000.00
3.	52	2026_PWDRB_522669	प्रोफेसर कालोनी सेवशन भोपाल के अन्तर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में विभिन्न वार्षिक मरम्मत, विशेष मरम्मत, लघुभूूल. डिपॉजिट एवं अन्य कार्य (द्वितीय आमंत्रण)	रु. 62,00,000.00 (रु. बासठ लाख मात्र)	रु. 620000.00
4.	53	2026_PWDRB_522670	तोलनिव केन्द्रीय भण्डार उपसंभाग भोपाल के अन्तर्गत तॉण एण्ड ऑर्डर व्ही.आई.वी. कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम हेतु बैरिकेडिंग का कार्य (द्वितीय आमंत्रण)	रु. 49,00,000.00 (रु. उन्न्चास लाख मात्र)	रु.500000.00
5.	54	2026_PWDRB_522671	तोलनिव नगर उपसंभाग क्र-3 भोपाल के अन्तर्गत कोटारा सुल्तानाबाद सेवशन के आवासीय भवनों में वार्षिक मरम्मत, विशेष मरम्मत, अनुरक्षण, डिपॉजिट एवं अन्य कार्य।	रु. 65,00,000.00 (रु. पैंसठ लाख मात्र)	रु. 650000.00
6.	55	2026_PWDRB_522672	तोलनिव. नगर उपसंभाग क्र-3 भोपाल के अन्तर्गत कोटारा सुल्तानाबाद सेवशन के आवासीय भवनों में आवश्यक मरम्मत वाटर सप्लाई, ड्रेनेज इंस्टालेशन एवं सिविल कार्य सहित जल अवरोधक का कार्य।	रु. 50,00,000.00 (रु. पचास लाख मात्र)	रु.50000.00
7.	56	2026_PWDRB_522673	तोलनिव नगर उपसंभाग क्र-3 भोपाल के अन्तर्गत कोटारा सुल्तानाबाद सेवशन के आवासीय भवनों में वार्षिक मरम्मत, विशेष मरम्मत, सीवर लाईन वेन्चर ड्रेन आदि कार्य।	रु. 48,00,000.00 (रु. अडतालीस लाख मात्र)	रु. 500000.00
8.	57	2026_PWDRB_522674	तोलनिव, नगर उपसंभाग क्र-3 भोपाल के अन्तर्गत जीआरपी. सेवशन के आवासीय भवनों एवं विन्ध्य कोटी में वार्षिक मरम्मत, विशेष मरम्मत, अनुरक्षण, डिपॉजिट एवं अन्य कार्य।	रु. 48,00,000.00 (रु. अडतालीस लाख मात्र)	रु. 500000.00
9.	58	2026_PWDRB_522675	तोलनिव, नगर उपसंभाग क्र-3 भोपाल के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायालय एवं न्यायिक सेवा सदन में रंगाई, पुताई, डिस्टम्परिंग, एवं पेंटिंग आदि का कार्य।	रु. 40,00,000.00 (रु. वालीस लाख मात्र)	रु. 500000.00
10.	59	2026_PWDRB_522677	तोलनिव नगर उपसंभाग क्र-3 भोपाल के अन्तर्गत जीआरपी. सेवशन एवं पोल्टी फार्म सेवशन के आवासीय भवनों में रंगाई, पुताई, डिस्टम्परिंग, एवं पेंटिंग आदि का कार्य।	रु. 50,00,000.00 (रु. पचास लाख मात्र)	रु. 500000.00

उपरोक्त वेबसाईट पर आनलाईन भुगतान करने के उपरांत निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र कय एवं सबमिशन करने की अंतिम तिथि 07.08.2026 सायं 5:30 बजे निर्धारित है। निविदा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसे उपरोक्त वेबसाईट पर देखा जा सकता है। विस्तृत एन. आई. टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाईट में देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री,

लोक निर्माण विभाग संधारण संभाग क्र-1 भोपाल

जी-16115/26